


27/06/22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगावती गयी, आवाज लगावने के उपरान्त भी प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। इतना अनुपस्थित रहने से प्रार्थी का प्रार्थन पत्र अफ़ हाजिरी एवं अफ़ पेशी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैलाना शुमार होकर नम्बर ले कर होकर दफ़्तर दाखिल है।


(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)